

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला - धितौडागढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - ~~स्वयंभोजा~~.....

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ५३३/२५ दायर दिनांक ०२/१०/२५ निषेध दिनांक ०२/१०/२५



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
1	धराणा	70	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>	<p>तहसीलीदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम स्वयंभोजा प.ह. स्वयंभोजा खतासं 70 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलेक्टर कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-धितौडागढ

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025